

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

यात्रा भत्ता प्रपत्र

यात्रा भत्ता बिल
मूल बिल
यात्रा का उद्देश्य
शेषक वा नाम एवं तिथि/परीक्षा का नाम

रु

बिल संख्या.....
तिथि.....
संस्करण.....
पृष्ठ.....

यात्रा विवरण			रेल द्वारा यात्रा			सड़क द्वारा			देनिक भत्ता			कुल योग		
प्रस्थान			आगमन			यात्रा का प्रकार	कि. मी.	राशि रु. है.	कि. मी.	राशि रु. है.	कुल दिन	राशि रु. है.	राशि रु. है.	राशि रु. है.
स्थान	तिथि	समय	स्थान	तिथि	समय									

कुल योग

लेखा शीर्षक.....
बजट प्रावधान.....
व्यय किया गया.....
शेष राशि.....
देय राशि (अंकों में).....
(राश्ट्रों में).....
जाँचा गया

चैक सं.....
राशि.....
तिथि.....

- यात्रा भत्ता नियम:-
- टी.ए. और डी.ए. के नियम वही हैं जो हिमाचल सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
 - गैर सरकारी कर्मचारियों तथा अन्यों पर टी.ए. एवं डी.ए. के नियम हिमाचल प्रदेश में अपनाएं जाने वाले नियमानुग्राह होंगे।

प्रकोष्ठ सहायक

अनुभाग अधिकारी

महायक/उप-कुलसचिव

वित्त अधिकारी